राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

उत्तरपुस्तिकाओ के कवर पृष्ठ साईज $8\frac{1}{2}$ x $11\frac{1}{4}$" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा

मुद्रणालय को 6.50 लाख उत्तरपुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ साईज 8.5X11.25" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी फर्मो से सीलबंद द्वि निविदा पद्धति से निविदा दिनांक 26.10.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा दो बन्द लिफाफो में हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र परिशिष्ट "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय निविदा प्रपत्र परिशिष्ट "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता फर्म का जयपुर में कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है।

दोनो निविदा अर्थात् **तकनीकी निविदा** एवं **वित्तीय निविदा** मोहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग भेजी जानी चाहिये जिसमें तकनीकी निविदा के लिफाफे में तकनीकी एवं अन्य सूचना का विवरण तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदा की दरें व अन्य विवरण अंकित होंगे। प्रथम लिफाफे पर उत्तरपुस्तिकाओ के कवर पृष्ठ साईज $8\frac{1}{2}$ x $11\frac{1}{4}$" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करने हेतु निविदा "तकनीकी निविदा" तथा द्वितीय लिफाफे पर उत्तरपुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ साईज $8\frac{1}{2}$ x $11\frac{1}{4}$" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य हेतु निविदा "वित्तीय निविदा" लिखा होना चाहिऐ। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में भरकर ठीक प्रकार से लिफाफे में सीलबंद कर उचित रूप से "उत्तरपुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ साईज 8.5X11.25" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करने हेतु निविदा" लिखा जाकर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर को सम्बोधित करते हुय दिनाक 26.10.2015 को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिऐं। तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाता का ही "वित्तीय निविदा" लिफाफा खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस मुद्रणालय की वेबसाईट www.thecooperativepress.com व sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अवलोकन किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस कार्यालय में 500/– नकद/डी.डी. द्वारा जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदा में तकनीकी निविदा के लिफाफो को उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोला जावेगा तथा तकनीकी निविदा में सफल बोलीदाता फर्म की वित्तीय निविदा को भी उसी दिन दिनांक 26.10.2015 को निविदा समिति द्वारा खोला जावेगा। किसी भी निविदा या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्ते बोलीदाता को स्वीकार है। निविदा के साथ निविदा प्रपत्र में अंकितानुसार कार्य की अनुमानित राशि रू. 3.50 लाख रूपये का दो प्रतिशत धरोहर राशि नकद/डी.डी. के रूप में जमा कराना होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार की इकाई को निविदा सूचना में बताई गई अनुमानित राशि रू. 3.50 लाख रूपये का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। सफल बोलीदाता फर्म को अनुमोदित राशि का पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को अनुमानित राशि के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।
संलग्न : निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

प्रपत्र "अ"

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

उत्तरपुस्तिकाओ के कवरपृष्ठ साईज 8½ x 11¼" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा प्रपत्र प्रथम "तकनीकी निविदा"

1. निविदा प्रपत्र मूल्य 500.00 रूपये

2. निविदा प्राप्ति की दिनांक 26.10.2015 को दोपहर 2.00 बजे तक

3. निविदा खोलने की दिनांक 26.10.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे

---

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता..
....

बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पत्ता ....
....

फोन नं. ....ई–मेल ....मोबाइल नं. ....

1. निविदा प्राप्तकर्त्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	धरोहर राशि	कार्य की अनुमानित राशि 3.50 लाख का 2 प्रतिशत धरोहर राशि	डी.डी. संख्या दि. राशि
2	धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत है। निविदा सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है (ड्राफ्ट संलग्न है)।		डी.डी. संख्या दि. राशि
3	वैट रजिस्टेशन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।		
4	बोलीदाता के पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति मय टिन नम्बर व पैन नम्बर		टिन नं. पैन नं.
5	निविदा के साथ OMR (ओ.एम.आर.) प्रिन्टिंग व बार कोड नम्बरिंग का प्रिन्टेड नमूना संलग्न है।		
6	वैट की निर्धारित दर		
7	बोलीदाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण		
8	स्थापित यंत्रों का विवरण संलग्न है। (वी डी पी उपकरण सहित)		

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त निविदा संख्या .... दिनांक .... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :—

(1) यह कि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय के उक्त निविदा से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध है।

(2) यह कि मै/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करो के लिये बाध्यकारी रहूँगा/रहेगें।

(3) यह कि हम/मैं किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/है और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) यह कि विगत 3 वर्षो में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण नियोग्य किये गये है।

(5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा निविदा प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तो/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/है।

(6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व निविदा शर्तो से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते है।

दिनांक : ....

स्थान : ....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम..

पद...

पता..

....

प्रपत्र "ब"

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी–1 / 138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302017

फोन नं. 0141–2751417, 2751352

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर

उत्तरपुस्तिकाओ के कवरपृष्ठ साईज $8\frac{1}{2} \times 11\frac{1}{4}$" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा प्रपत्र "वित्तीय निविदा"

1. बोलीदाता फर्म का नाम व पूर्ण पता...

....

....

2. मुद्रणालय में उत्तरपुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ साईज 8.5X11.25" पर मुद्रणालय द्वारा प्रदत्त कागज पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरें निम्नानुसार है :–

अनुमानित राशि 3.50 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) बोली प्रतिभूति राशि 0.07 लाख रूपये (सात हजार रूपये)

क्र.	विवरण	उत्तरपुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ की साईज (इंच में)	तादाद कवर पृष्ठ	दर प्रति हजार
1.	मुद्रणालय द्वारा प्रदत्त कागज पर उत्तरपुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग व बार कोड नम्बरिंग का कार्य	8.50X11.25"	650000	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट 'स'

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,
जी–1/138, मालवीय औद्योगिक क्षैत्र, जयपुर

उत्तरपुस्तिकाओ के कवरपृष्ठ साईज 8½ x 11¼" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु निविदा एवं संविदा की शर्ते

सूचना : बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तो को बहुत ध्यानपूर्वक पढना चाहिए।

1. मुद्रणालय को 650000 उत्तरपुस्तिकाओं के कवर पृष्ठ साईज 8.5X11.25" पर ओ.एम.आर. (OMR) प्रिन्टिंग एवं बार कोड नम्बरिंग का कार्य करवाने हेतु प्रतिष्ठित अनुभवी फर्मो से द्वि निविदा पद्धति से निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) दो बन्द लिफाफों में हस्ताक्षर युक्त दिनांक 26.10.2015 को दोपहर 2 बजे तक प्रस्तुत की जायेगी (1) तकनीकी निविदा प्रपत्र "अ" में तकनीकी विवरण एवं (2) वित्तीय निविदा प्रपत्र "ब" में दरें अंकित कर प्रस्तुत करनी होगी।
2. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को खोला जावेगा। तकनीकी निविदा में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा को उसी दिन खोला जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
4. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिये, जो इस कार्य के अनुभवी हो, जिसके लिए निविदा दी है।
6. आपूर्ति किये जाने वाला माल मुद्रणालय द्वारा निर्धारित विवरणों के अनुसार एवं अनुमोदित स्टेण्डर्ड सैम्पल से मिलता हुआ होना चाहिये, अन्यथा स्वीकार नही किया जायेगा। ओ.एम.आर. मुद्रण/बार कोडिंग नम्बरिंग हेतु कागज मुद्रणालय द्वारा दिया जायेगा। जिसका पूर्ण हिसाब फर्म को देना होगा।
7. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं देगा और न ही उससे सप्लाई करवायेगा।
8. संस्था को माल के निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
9. बोलीदाता फर्म का स्थानीय स्तर पर कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला होना अनिवार्य है। बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता यहां देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
10. यदि अनुमोदित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न माल सप्लाई किया जाता है तो उसको अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा उसको बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर वितरक द्वारा बदलना होगा।
11. सभी कथित दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय ओद्यौगिक क्षैत्र, जयपुर होगी, जिसका कोई कार्टेज देय नहीं होगा।
12. निविदा देने वाली फर्म जिसकी निविदा स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि में माल सप्लाई करने के लिए बाध्य होगी।
13. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
14. निविदा मे कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए। कोई भी ओवरराईटिंग नहीं की जानी चाहिए।
15. बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करना होगा जो अनुबंध का भाग होगा।
16. निविदा के साथ नियमानुसार निर्धारित धरोहर राशि जमा करानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद जमा करानी होगी। यह धरोहर राशि जिन फर्मो की निविदा स्वीकार नहीं होगी, उन्हें निविदा की अंतिम स्वीकृति होने से एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को जमानत (सिक्यूरिटी) के रूप में समायोजन कर लिया जावेगा।

17. पूर्व में मुद्रणालय में जमा धरोहर/सिक्यूरिटी राशि का निविदा के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।

18. उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को धरोहर राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग ईकाईयों के पंजीयन की प्रमाणित फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रकार की इकाई को निविदा सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत धरोहर राशि मुद्रणालय में नकद/बैंक डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

19. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में एक अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तो को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत सिक्यूरिटी के रूप में सिक्यूरिटी राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी सिक्यूरिटी राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता को वहन करना पडेगा। मुद्रणालय को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

20. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।

21. यदि अनुमोदित फर्म निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली क्षतिपूर्ति निविदादाता फर्म से की जावेगी।

मुद्रणालय अनुमोदित फर्म के लिए सप्लाई नहीं किये गये या छोडे गये या वितरित रूप से शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित वितरक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित वितरक के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय द्वारा अधिक व्यय वहन करना पडेगा, वह उसकी सिक्यूरिटी राशि में से पूरा किया जावेगा।

21. 1. सामग्री/माल निश्चित किये गये गोदाम पर अच्छी दशा में सम्भाला जायेगा। यदि अनुमोदित फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पडेगा।

2. सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

3. यदि परस्पर समझौता हो जाये तो निविदा की मान्यता अवधि एवं सामान भेजने की अवधि दोनो में विस्तार किया जा सकता है।

4. बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निविदा को स्वीकृत करने के लिए किये गये प्रयास को अयोग्यता माना जावेगा।

22. मुद्रणालय किसी भी निविदा को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें। वह किसी भी निविदा/निविदा के किसी भाग को उसके कारण बतलाये बिना रद्द कर सकता है।

23. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिकी कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र एवं कर निर्धारण अधिकारी से बिकी कर चुकती प्रमाण–पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी यदि निविदा देने वाली फर्म किन्हीं सत्यभूत कारण से वैट (कर) चुकती प्रमाण–पत्र देने में असमर्थ रही है तो प्राधिकारी निविदा पर विचार कर सकता है परन्तु शर्त यह है कय करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो, ये कारण अभिलिखित किये जावेंगे तथा निविदा देने वाली फर्म से बाद में प्रमाण–पत्र देने के लिए कहा जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण–पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध होने से पूर्व देना होगा।

24. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा सिक्यूरिटी राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।

25. फर्म को पजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना होगा।

26. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

27. प्रस्तुत दरो में वैट अतिरिक्त होगा।

28. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।

29. निविदा अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष लिये मान्य होगी। आवश्यकता पड़ने पर नियमों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

30. निविदा स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।

31. आयकर/बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

32. दरों में शब्दों एवं अंको में अंतर होने पर शब्दो वाली दर सही मानी जावेगी।

33. बोलीदाता/फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।

34. मुद्रणालय के राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दशार्य गये नियमों के उल्लघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।

35. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

प्रबन्ध निदेशक

हमने उक्त निविदा शर्ते पूर्ण रूप से पढली है तथा हम उक्त सभी शर्तो को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता फर्म
के मय मोहर